प्रकरण : संख्या–

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
(2)	06.09.24 पत्रा० पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी इफ्फा प्रा० पत्र O(1)R(10) पेश करने हेतु अवसर चाहा जो सुना जाकर दिया गया पत्रा० वास्ते पेश होने प्रा० पत्र O(1)R(10) CPC हेतु दिनांक 29.11.24 को पेश हो। [signature] (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द
	29-11-24 वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन अधिकारी राज काज भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 21-3-25 को पेश हो। [initials]
	वादी/प्रति... पीठासीन ...काश पर है। ...पालना में ...पेश हो। [signature]
	21-3-25 वादी/प्रति... उपस्थिति पीठासीन अधिकारी ...अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आ... पालना में दिनांक 6-6-25 ... हो। [initials]
सभी पड़ोसियों को सूचित करा पत्रावली फाइल करने में आपत्ति नहीं है [signature] पेशकार 6-6-25	06.06.25 पत्रा० पेश हुई अधि० प्रार्थी आर विपक्षी पैरोकार उपस्थित विपक्षी पैरोकार द्वारा प्रकरण में आपत्ति नहीं होना जाहिर किया [initials]

यक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

शीर्षक.. बनाम..

कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रकरण निस्तारण हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शा० मा० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर यथाक्रम से दर्ज हो।	

क्ट

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर – 05/2024
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 05.01.2024
निर्णय दिनांक – 06.06.25

अनवान

1. मुकेश पुत्र रामलाल कुमावत निवासी बडारडा तह. व जिला राजसमन्द।

......................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय राजसमन्द, तहसील राजसमन्द व जिला राजसमन्द।

......................विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी – श्री मुकेश तलेसरा
विपक्षी – पेरोकार राज

निर्णय

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 पत्थरगढी कराने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बडारडा पटवार हल्का बडारडा तहसील राजसमन्द के आराजी संख्या 1726/1406, 1736/313, 1738/1428 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5270 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज होकर स्थित है, जो प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है। प्रार्थी की भूमि के पड़ौसी अवैध रूप से अतिक्रमण कर उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं व सीमा विवाद पैदा करने पर आमादा है। पड़ौसियों के उक्त कृत्य को देखते हुए प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि का जो सीमा विवाद है, उसका निस्तारण आप न्यायालय द्वारा पत्थरगढ़ी के आदेश से ही संभव है, जिससे कि विवाद का स्थायी रूप से निस्तारण हो सके। इस हेतु प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्ध यह आदेश पारित फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम बडारडा पटवार हल्का बडारडा तहसील राजसमन्द में आराजी नम्बर 1726/1406 रकबा 0.1856 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1736/313 रकबा 0.1564 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1738/1428 रकबा 0.1850 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0. 5270 हैक्टेयर जो कि प्रार्थी की है, का सीमांकन कराया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावें तथा पत्थरगढी एवं सीमांकन करने हेतु तहसीलदार, राजसमन्द को आदेशित किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की और से पेरोकार सरकार ने उपस्थिति दी। पेरोकार सरकार द्वारा पत्रावली पर यह नोट अंकित किया गया कि "सभी पडौसियो को सूचित करा पत्थरगढी किये जाने मे आपत्ति नही है।"

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम बडारडा पटवार हल्का बडारडा तहसील राजसमन्द के आराजी संख्या 1726/1406, 1736/313, 1738/1428 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5270 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं स्वामित्व आधिपत्य की है। प्रार्थी आये दिन होने वाले सीमा विवाद के निस्तारण हेतु अपनी उक्त कृषि भूमि की

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमि का पत्थरगढी आदेश प्रदान करे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज ग्राम बडारडा की जमाबन्दी सम्वत 2077–2077 की आराजी संख्या आराजी संख्या 1726/1406, 1736/313, 1738/1428 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5270 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की एकलखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजी निर्विवादित रूप से प्रार्थी की की होकर प्रार्थी पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनिम 1956 बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजसमन्द को कमिश्नर शुल्क राशि 2000/– रू पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौके पर निर्माण नही हो एवं किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो कब्जे को डिस्टर्ब किये बिना राजस्व ग्राम बडारडा पटवार हल्का बडारडा तहसील राजसमन्द के आराजी संख्या 1726/1406, 1736/313, 1738/1428 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5270 हैक्टेयर कृषि भूमि की नियमानुसार सीमा जानकारी कराते हुए विधिसम्मत पत्थरगढी की कार्यवाही करावे यदि मौके पर कब्जे को लेकर विवाद हो तो पत्थरगढी नहीं करा पर्चा मौका तैयार कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर शुल्क प्रार्थीगण अदा करे। तहसीलदार राजसमन्द को तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible] (I.A.S)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

उक्त आदेश आज दिनांक 06.06.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी • राजसमन्द •
सत्यमेव जयते